

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 02/2025

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2025/8

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थी:-
सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी पाली		वेनाराम पुत्र लच्छाराम निवासी मालियों का बास ग्राम चाणोद तहसील सुमेरपुर हाल मालिक फर्म मैसर्स चामुण्डा होटल एण्ड रेस्टोरेण्ट पणिहारी चौराहे के पास सोजत बाईपास पाली

“प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955”

उपस्थित :-

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :-

दिनांक:- 24/12/2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन आदेश, 2000 के क्लॉज 3ए, सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से जबाबसुदा सिलेण्डर मय एक गैस चुल्हा दो बर्नर वाला को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी वक्त बहस अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 21.12.2024 को मन प्रवर्तन अधिकारी पाली हमराह श्री शंकरलाल एवं श्री ओमप्रकाश एएसआई, पुलिस थाना कोतवाली, पाली द्वारा संयुक्त रूप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलिंग एवं घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण के दौरान पणिहारी चौराहे के पास, सोजत बाईपास स्थित एक प्रतिष्ठान मैसर्स चामुण्डा होटल एण्ड रेस्टोरेण्ट प्रतिष्ठान पर पहुंचे। मौके पर वेनाराम उपस्थित मिले, जिन्होंने खुद को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया। मौके पर रूबरू मौतबिरान नरेश पुत्र ओटाराम निवासी ग्राम मालगढ़ जिला जालोर एवं मिश्रीलाल गहलोत पुत्र गोपाल गहलोत, निवासी 101, इन्द्र विहार, नया गांव रोड, पाली की उपस्थिति में प्रतिष्ठान की जांच के दौरान 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.02 किग्रा) एचपी कम्पनी के पाये गये एवं उक्त गैस सिलेण्डर से जुड़े चुल्हे पर व्यंजन बनाये जा रहे थे। अप्रार्थी से मौके पर प्राप्त गैस सिलेण्डर से सम्बन्धी आवश्यक विधिक दस्तावेज मांगने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, न ही संतोष जनक जवाब दिया। जिस पर गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से भण्डारण, रिफिलिंग एवं बिक्री किये जाने पर गैस



*(Handwritten signature)*

अति. जिला कलक्टर. पाली

सिलेण्डरों का उपयोग रूकवाया जाकर मौके पर मैसर्स पाली गैस सर्विस, पाली के प्रतिनिधी द्वारा हैंगिंग स्केल से तौल करवाने पर निम्न सारणी-1 के अनुसार स्थिति पाई गई :-

## सारणी-1

(वजन Kg.मे)

क्र. सं.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	भरे हुये सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर नम्बर
1	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	15.800	15.800	0.000	712544
2	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	28.100	15.500	12.600	743382
एक गैस चूल्हा दो बर्नर वाला							

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सारणी-1 में वर्णित गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु दिलीप मण्डल पुत्र विमल मण्डल निवासी 80 ए, तिरूपति कॉलोनी, नया गांव, पाली हाल मैनेजर मैसर्स पाली गैस सर्विस, पाली को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबूत पत्रावली संलग्न है व निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा 02 सिलेण्डर मय एक गैस चूल्हा दो बर्नर वाला को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के पणिहारी चौराहे के पास, सोजत बाईपास स्थित एक प्रतिष्ठान मैसर्स चामुण्डा होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण दौरान पहुंचे, जहां पर अप्रार्थी एवं मौके पर रूबरू मौतबिरान नरेश पुत्र ओटाराम निवासी ग्राम मालगढ़ जिला जालोर एवं मिश्रीलाल गहलोत पुत्र गोपाल गहलोत, निवासी 101, इन्द्र विहार, नया गांव रोड, पाली 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.02 किग्रा) एचपी कम्पनी के पाये गये, जो मौके पर एक गैस चूल्हा दो बर्नर वाला से जुड़े हुये थे और उस पर व्यंजन बनाया जा रहा था। अर्थात् उक्त गैस सिलेण्डर का अप्रार्थी द्वारा व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। उक्त गैस सिलेण्डर के उपयोग के बारे में अप्रार्थी ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसकी ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण पर्चा से होती है।




इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौकाफर्द के अवलोकन से भी यह जाहिर होता है कि घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हो रहा था, जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग रूकवाकर हैगिंग स्केल द्वारा तौल किया एवं गैस सिलेण्डर कब्जे में लेकर मैसर्स पाली गैस सर्विस, पाली को सुपुर्द किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर द्रवित गैस, पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के तहत की है। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के उपबन्धों की अवहेलना की है। लिहाजा उक्त जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डर को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उपरोक्त सारणी-1 में वर्णित 02 घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी, के उपबन्धों की अवहेलना किये जाने से उक्त 02 गैस (एचपी कम्पनी) सिलेण्डरों को मय गैस राज्यसात (Confiscate) किया जाता है एवं जब्तसुदा एक गैस चूल्हा दो बर्नर वाला अप्रार्थी को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरों को सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 8618/खा.ले./नीति/6A/2020 जयपुर दिनांक 19.08.2000 एवं उसकी पालना में खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F04{23} खा. ले./नीति/6A/89 जयपुर दिनांक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
 (डॉ. बजरंग सिंह)  
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली  
 अति. जिला कलेक्टर पाली